कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गोरखपुर

पत्रांक.– अ–24 / एफ0एस0–2012 दिनांक: 18.3.13

सेवा में,

सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषयः– प्लाट / खसरा गोहद्दीपुर जी0डी0ए0 मानचित्र सं0–306 / 13 जिला–गोरखपुर में निर्मित मेसर्स श्री बांके बिहारी डेवलपर्स प्रा0लि0, मु0 गोहद्दीपुर, गोरखपुर भवन का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 शून्य / दिनांक 09.03.2013, 16.03.2013 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी की आख्या दिनांक 17.03.2013 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

भवन की संरचना –

1. कुल भूखण्ड एरिया 2239.77 वर्ग मी0।
2. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया व्यवसायिक 661.24 + पार्किंग–204.46 कुल 865.70 वर्ग मी0।
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रथम तल व्यवसायिक वर्ग मी0 (प्रत्येक तलवार विवरण)

   661.24 + आवासीय 264.46 कुल 865.70 वर्ग मी0 तथा प्रथम तल से 5वॉं तल तक आवासीय 805.01 वर्ग मी0 प्रत्येक तल तथा 6वॉं व 7वॉं तल आवासीय 412.24 वर्ग मी0 प्रत्येक तल प्रस्तावित।
4. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया 1027.48 वर्ग मी0।
5. बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया प्रस्तावित नहीं वर्ग मी0।
6. बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया प्रस्तावित नहीं वर्ग मी0।
7. भवन की ऊँचाई 22.92 मी0 है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की मिश्रित अधिवास श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। औद्योगिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटेरियल का – शून्य

ढॉंचागत व्यवस्थाः–

1. **पहुँच मार्ग** – भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 12 मी0 रोड की चौड़ाई है।
2. **प्रवेश द्वार** की चौडाई 06 मी0 जो मानक के अनुसार है।
3. **सेटबैक** – प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

   ए0–अग्रभाग– 06 मी0
   बी0–पृष्ठ भाग–06 मी0
   सी0–पार्श्व भाग प्रथम–06 मी0।
   डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–06 मी0 है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर 3. 4. 5 (Iv) (क) के अनुसार।

   उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबेक में किसी प्रकार स्थाई / अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

4(i) निकास मार्गः–प्रस्तावित भवन में दो स्टेयरकेस पूरब–पश्चिम 1.5 मीटर चौड़ाई के प्रत्येक प्रस्तावित है प्रथम तल पर दक्षिण दिशा में एक स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.5 मी0। बेसमेन्ट मे उत्तर–दक्षिण दिशा में 2 स्टेयर केस 1.5 मीटर चौडाई के प्रस्तावित है तथा रैम्प का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

(ii) बेसमेन्ट–उपरोक्तानुसार।

5. रिफयूज एरिया का विवरण – वांछित नहीं।

<u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था</u>:– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1. भूमिगत टैंकः– भूमिगत टैंक वांछित नहीं ली0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
2. पम्पः–अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प वांछित नहीं एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प वांछित नहीं एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधानित है।
3. होजरीलः– प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार वांछित है।
4. वेटराइजरः– प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेट राइजर सिस्टम, एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुरूप है। वांछित नहीं, डाउन कमर वांछित है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में यार्ड हाईड्रेण्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार वांछित नहीं है।
6. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम–मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछित है।
7. स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार व्यवसायिक क्षेत्र में प्रस्तावित है।
8. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार बेसमेन्ट, व्यवसायिक क्षेत्र में वांछित है।
9. टेरिस टैंकः– प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
10. टेरिस पम्पः– प्रस्तावित भवन टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 (एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0) के अनुसार वांछित है।
11. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुसार है।
12. स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम बेसमेन्ट में वांछित है।

ए0–फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का 2 घण्टा है।

बी0–सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था वांछित है।

सी0–स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम की तकनीकी विश्लेषण वांछित है।

Scanned by CamScanner

13. **प्रेशराईजेशन प्रणाली:–**

1. प्रेशराईजेशन वांछनीय नहीं है।
2. प्रेशराईजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टरलिंग है जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुरूप वांछित नहीं है।

14. **एग्जिट साईनेज:–** सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये हैं। **वांछित है।**

15. **पी0ए0 सिस्टम:–** पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है। **वांछित है।**

उपरोक्तानुसार मेसर्स **बांके बिहारी डेवलपर्स प्रा0लि0 मु0 मोहद्दीपुर, गोरखपुर** में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोडऑफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–पत्र व मानचित्र।

18-3-13

(वी0पी0 सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

गोरखपुर

प्रतिलिपि:–

1. अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
2. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

Scanned by CamScanner